2005:CGHC:4632

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 1447/1998

गया प्रसाद सिंह

–बनाम–

छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थित:–

अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.ए. अंसारी के साथ श्रीमती मीरा अंसारी एवं श्री एन.पी. केला अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त लोक अभियोजक।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(दिनांक 21/11/2005 को उद्घोषित)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, द्वारा दिया गया।

1. यह अपील श्री एच.पी. सिंह, विशेष न्यायाधीश, रायपुर द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 5/94 में दिनांक 30.6.98 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी गया प्रसाद सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (इसके पश्चात् अधिनियम 1988 के रूप में संदर्भित) की धारा 7 और धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत सिद्धदोष ठहराया गया था और अधिनियम 1988 की धारा 7 के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000/– रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी तथा जुर्माना न चुकाये जाने के व्यतिक्रम पर तीन माह के साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया गया था, और साथ ही अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000/– रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी तथा जुर्माना न चुकाये जाने के व्यतिक्रम पर 3 महीने के साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया गया था।

2. अपीलार्थी पर सह–अभियुक्त टी.एस. चौहान, जो तत्कालीन थाना प्रभारी, थाना नेवरा थे, के साथ मुकदमा चलाया गया था, जिन्हें विशेष न्यायाधीश द्वारा अधिनियम 1988 की धारा 7 और 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) के आरोप से दोष–मुक्त कर दिया गया था।

3. संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि शिव कुमार अग्रवाल (अ.सा. 11) नेवरा में कबाड़ सामग्री का काम करते हैं। दिनांक 28.1.89 को, अपीलार्थी कांस्टेबल गया प्रसाद सिंह, शिव कुमार (अ.सा. 11) को रेस्ट हाउस ले गया जहाँ वे थाना प्रभारी, टी.एस. चौहान से मिले। अपीलार्थी और टी.एस. चौहान ने शिव कुमार को बताया कि उसके खिलाफ रेल्वे संपत्ति के अवैध कब्जे का एक मामला बनता है और इसलिए, यदि वह शांतिपूर्वक अपना अवैध कबाड़ का व्यवसाय चलाना चाहता है, तो उसे उन्हें 3,000/– रुपये प्रति माह देने होंगे, अन्यथा उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। टी.एस. चौहान ने शिव कुमार से उसी दिन शाम तक गया प्रसाद सिंह को 1,500/– रुपये देने को कहा। शिव कुमार ने किसी तरह अपीलार्थी गया प्रसाद सिंह को उसके निवास पर 1,380/– रुपये का भुगतान करने की व्यवस्था की और शेष राशि के लिए समय मांगा। दिनांक 13.2.89 को, अपीलार्थी गया प्रसाद सिंह, शिव कुमार को उसकी दुकान से रेस्ट हाउस ले गया जहाँ टी.एस. चौहान उनका इंतजार कर रहे थे। टी.एस. चौहान ने शिव कुमार को निर्देश दिया कि वह 14.2.89 से पहले अपीलार्थी गया प्रसाद सिंह के घर पर 1,620/– रुपये पहुंचा दे। इस पर, शिव कुमार ने एस.पी. लोकायुक्त, रायपुर को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। निरीक्षक सी.के. तिवारी (अ.सा. 13) के नेतृत्व में एक जाल बिछाया गया, जिसमें एम.के. दास गुप्ता, सहायक मत्स्य अधिकारी, बी.सी. शर्मा (अ.सा. 3), सहायक निदेशक को गवाह के रूप में बुलाया गया था। शिव कुमार (अ.सा. 11) ने विभिन्न मूल्यवर्ग के नोटों में 1,620/– रुपये प्रस्तुत किए। नोटों पर फिनॉफ्थलीन पाउडर लगाने के बाद, उन्हें शिव कुमार की जेब में रखा गया। वह थाना नेवरा के पास गया। अपीलार्थी गया प्रसाद सिंह पुलिस स्टेशन आया, शिव कुमार से मिला और देरी पर नाराजगी व्यक्त की। बी.सी. शर्मा (अ.सा. 3) शिव कुमार के साथ खड़ा था। अपीलार्थी गया प्रसाद सिंह ने शिव कुमार को अपने क्वार्टर में आने के लिए कहा। शिव कुमार ने बी.सी. शर्मा से अपने साथ चलने को कहा। अपीलार्थी सहमत नहीं हुआ, शिव कुमार को अकेले अपने साथ अपने क्वार्टर के अंदर ले गया और दरवाजा बंद करके 1,620/– रुपये की मांग की। शिव कुमार ने पैसे सौंप दिए। अपीलार्थी ने नोट गिने और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्हें अपनी बुशशर्ट की जेब में रख लिया और शिव कुमार के साथ पुलिस स्टेशन की ओर जाने वाला था। इसी समय, शिव कुमार द्वारा दिए गए पूर्व निर्धारित संकेत पर, जाल बिछाने वाली पार्टी मौके पर पहुंच गई। निरीक्षक राजेश्वर सिंह (अ.सा. 12) ने अपीलार्थी को अपनी पहचान बताई, जिसने भागने की कोशिश की। राजेश्वर सिंह ने अपीलार्थी को पकड़ लिया। हाथापाई हुई। नोट अपीलार्थी की जेब से जमीन पर गिर गए। श्री एम.के. दास गुप्ता और श्री बी.सी. शर्मा (अ.सा. 3), निरीक्षक सी.के. तिवारी (अ.सा. 13) की उपस्थिति में, पंचनामा तैयार किया गया और जमीन पर गिरे 1,620/– रुपये के नोटों को जब्त कर लिया गया। गया प्रसाद सिंह की उंगलियों और उसकी शर्ट की जेब को सोडियम कार्बोनेट के सादे घोल में डुबोया गया, जो गुलाबी रंग में बदल गया। इसे सील कर जब्त कर लिया गया। जमीन से जब्त किए गए नोटों को भी सोडियम कार्बोनेट के सादे घोल में डुबोया गया जो गुलाबी हो गया। जांच पूरी होने के बाद, अपीलार्थी और टी.एस. चौहान पर अधिनियम 1988 की धारा 7 और 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलार्थी ने अपराध अस्वीकार किया और निर्दोष होने का अभिवाक किया। उसने शिव कुमार से किसी भी प्रकार की रिश्वत की मांग करने या उसे कभी परेशान करने से इनकार किया। अपने बचाव में, उसने कहा कि शिव कुमार ने जानबूझकर उसके जेब में पैसे डालने का प्रयास किया जिसका उसने विरोध किया। इस प्रक्रिया में, उसकी जेब की सामग्री नीचे गिर गई। इस प्रकार उसे झूठा फंसाया गया। बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. अपीलार्थी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.ए. अंसारी ने अपीलार्थी गया प्रसाद सिंह की दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी है कि उपरोक्त अपराधों के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को प्रमाणित करने के लिए अभिलेख पर कोई कानूनी और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं था। उन्होंने शिव कुमार की गवाही के पैरा 7 पर जोर दिया जिसमें उसने कहा था कि उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और गया प्रसाद सिंह की सामने की जेब में यह कहते हुए डाल दिए कि अब उसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इस पर, गया प्रसाद सिंह ने बार–बार कहा "यह क्या है? मैं पैसे स्वीकार नहीं करता" लेकिन इसके तुरंत बाद वह जगह छोड़कर चला गया और अपना सिर खुजलाते हुए ट्रैप पार्टी को संकेत दिया। यह घटना अपीलार्थी गया प्रसाद सिंह के क्वार्टर पर हुई थी। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता ने बी.सी. शर्मा (अ.सा. 3) की गवाही की ओर इशारा किया जिसमें कहा गया था कि पुलिस

स्टेशन के अंदर से शोर सुनकर उसने पाया कि शिव कुमार, अपीलार्थी गया प्रसाद सिंह और ट्रैप पार्टी के बीच हाथापाई हो रही थी जिसके बाद अपीलार्थी गया प्रसाद के हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धोए गए और ट्रैप पार्टी ने जमीन पर गिरे करेंसी नोट जब्त कर लिए। यह तर्क दिया गया कि घटना स्थल के संबंध में साक्ष्य पूरी तरह से विरोधाभासी थे। यह भी बताया गया कि शिव कुमार (अ.सा. 11) की गवाही के पैरा 7 से अपीलार्थी गया प्रसाद सिंह की निर्दोषता स्पष्ट रूप से साबित होती है। किसी भी रिश्वत की मांग के बारे में या यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि शिव कुमार ने पहले कभी गया प्रसाद को 1,380/– रुपये का भुगतान किया था। पंचनामा (प्रदर्श पी–4) से भी पता चला कि जो नोट जमीन पर गिरे थे, उन्हें जब्त कर लिया गया था। जहां तक अपीलार्थी की उंगलियों को धोने पर सोडियम कार्बोनेट के घोल के रंग बदलने से संबंधित साक्ष्य का सवाल है, यह तर्क दिया गया कि स्वाभाविक आचरण के रूप में, अपीलार्थी गया प्रसाद सिंह ने शिव कुमार द्वारा उसकी जेब में डाले गए नोटों को तुरंत फेंक दिया था और इस प्रक्रिया में, अपीलार्थी की उंगलियां फिनॉफ्थलीन पाउडर के संपर्क में आ गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप सोडियम कार्बोनेट के घोल का रंग गुलाबी हो गया था। श्रीमती मीना बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2000 खंड 5 SCC 21 में प्रतिवेदित किए गए मामले का अवलंब लिया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मामले की विशेष परिस्थितियों में केवल 20/– रुपये के करेंसी नोट की बरामदगी, और वह भी मेज पर पड़े पैड पर, रिश्वत की स्वीकृति का उचित या पर्याप्त प्रमाण नहीं माना जा सकता, जो अपीलार्थी के मामले को भी बल देता है कि जब करेंसी नोट को उसके हाथों में डालने का प्रयास किया गया तो अपीलार्थी द्वारा उसे अपने हाथों से दूर धकेलने के दबाव में वह मेज पर गिर गया। फिनॉफ्थलीन परीक्षण के परिणामों को इस संदर्भ में देखते हुए कि अपीलार्थी करेंसी नोटों के संपर्क में तब भी आ सकता था जब उसने उन्हें अपने हाथों से दूर धकेला था, इस प्रकार यह साबित करने के लिए किसी भी भरोसे का नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी ने वास्तव में रिश्वत की राशि स्वीकार की थी। यह भी अभिनिर्धारित गया कि परिस्थितियों से पता चलता है कि अपीलार्थी को किसी तरह मुसीबत में डालने और उसे पीड़ित करने के लिए उसके चारों ओर एक जाल बुनने का प्रयास किया गया था। उपरोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा को अपास्त करते हुए अपील स्वीकार कर ली थी। दूसरी ओर, श्री यू.एन.एस. देव, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिया और कहा कि निरीक्षक राजेश्वर सिंह (अ.सा.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12) की गवाही से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलार्थी ने ट्रैप पार्टी के आगमन पर भागने का प्रयास किया था, जिसके बाद हाथापाई हुई जिसके दौरान करेंसी नोट अपीलार्थी की जेब से नीचे गिर गए। यह रिश्वत स्वीकार करने में अपीलार्थी के आचरण को दर्शाता है, जिसने शिव कुमार (अ.सा. 11) द्वारा कथित रूप से उसकी जेब में डाले गए करेंसी नोटों को स्वेच्छा से नहीं फेंका था। उन्होंने तर्क दिया कि शिव कुमार (अ.सा. 11) की गवाही के पैरा 7 के बावजूद, यह तथ्य कि अपीलार्थी का फिनॉफ्थलीन परीक्षण सकारात्मक था, विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को सही ढंग से दोषी ठहराया था।

6. मैंने विरोधी दलीलों को सुना है और विशेष आपराधिक मामला संख्या 05/1994 के अभिलेख का भी सूक्ष्मता से अवलोकन किया है। निरीक्षक राजेश्वर सिंह (अ.सा. 12), सी.के. तिवारी (अ.सा. 13) और शिव कुमार अग्रवाल (अ.सा. 11) की गवाही संदेह से परे यह साबित करती है कि एक जाल बिछाया गया था जिसके दौरान शिकायतकर्ता शिव कुमार अग्रवाल द्वारा 1,620/– रुपये के करेंसी नोट दिए गए थे। नोटों पर फिनॉफ्थलीन पाउडर लगाने और आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नोट शिव कुमार अग्रवाल की जेब में रखे गए थे और उनसे अपीलार्थी द्वारा नोट स्वीकार किए जाने के बाद संकेत देने के लिए कहा गया था। गवाही के इस हिस्से पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान भी कोई सवाल नहीं उठाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य में इस बात का लेशमात्र भी प्रमाण नहीं है कि अपीलार्थी गया प्रसाद सिंह ने सह–अभियुक्त टी. एस. चौहान के साथ मिलकर शिव कुमार अग्रवाल (अ.सा. 11) से उसकी अवैध गतिविधियों के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई न करने के एवज में संरक्षण राशि के रूप में 3,000/– रुपये प्रति माह की मांग की थी। रेल्वे के लोहे के कबाड़ की बिक्री से संबंधित, शिव कुमार अग्रवाल (अ.सा. 11), जिसके कहने पर जाल बिछाया गया था, ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। उसने केवल इतना ही कहा है कि कांस्टेबल गया प्रसाद सिंह उसे नियमित रूप से परेशान करता था और कुछ लोगों की सलाह पर वह विशेष पुलिस स्थापना गया था। शिव कुमार अग्रवाल (अ.सा. 11) के पूर्ववृत्त पर एक नजर डालने से पता चलता है कि उसके बयान के पैरा–20 में उसने स्वीकार किया है कि उसके खिलाफ लोहे के कबाड़ की चोरी से संबंधित कई मामले शुरू किए गए थे और उसकी गवाही की तारीख पर भी उसके खिलाफ एक न्यायालय में लोहे के कबाड़ की चोरी से संबंधित एक मामला चल रहा था। इससे पता चलता है कि पुलिस शिव कुमार (अ.सा. 11) को लोहे के कबाड़ की चोरी की उसकी

अवैध गतिविधियों के लिए जांच करने और मुकदमा चलाने में निष्पक्ष थी। शिव कुमार अग्रवाल (अ.सा. 11) की इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, यह अत्यंत आवश्यक है कि उसकी गवाही की बड़ी सावधानी और सतर्कता से जांच की जाए, ताकि कोई निष्पक्ष पुलिस कांस्टेबल ऐसे व्यक्तियों की बुरी मंशा का शिकार न हो जाए। इस गवाह से विशेष लोक अभियोजक द्वारा पूरी तरह से प्रति–परीक्षा की गई, फिर भी उससे ऐसा कुछ भी नहीं निकलवाया जा सका जिससे यह पता चले कि किसी भी समय अपीलार्थी कांस्टेबल गया प्रसाद सिंह ने उससे 3,000/– रुपये प्रति माह की रिश्वत की मांग की थी। उसकी गवाही में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि उसने जाल बिछाए जाने से पहले कांस्टेबल गया प्रसाद सिंह को 1,380/– रुपये का भुगतान किया था और शेष 1,620/– रुपये की राशि कांस्टेबल गया प्रसाद सिंह के आवास पर भुगतान करने पर सहमति हुई थी।

8. इसके अलावा, शिव कुमार अग्रवाल (अ.सा. 11) के अलावा किसी भी अभियोजन पक्ष के गवाह ने यह खुलासा नही किया कि जब शिव कुमार अग्रवाल ने वास्तव में अपीलार्थी को 1,620/– रुपये की राशि सौंपी तो क्या हुआ। पैरा–11 में शिव कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चूंकि अपीलार्थी ने कभी कोई रिश्वत नहीं मांगी थी, इसलिए अपीलार्थी को कोई रिश्वत देने का सवाल ही नहीं उठता था। उसने कहा है कि वह केवल यह चाहता था कि अपीलार्थी और टी.एस. चौहान उसे परेशान न करें। अपनी गवाही के पैरा–7 में उसने कहा है कि वह अपीलार्थी कांस्टेबल गया प्रसाद सिंह से उसके क्वार्टर पर मिला था, जबकि गवाह रामजी भोई (अ.सा. 9), राजेश्वर सिंह (अ.सा. 12) और सी.के. तिवारी (अ.सा. 13) ने बयान दिया है कि शिव कुमार अग्रवाल (अ.सा. 11) ने पुलिस स्टेशन के पास कांस्टेबल गया प्रसाद सिंह से बात की थी और उसके बाद दोनों एक साथ गया प्रसाद सिंह के घर गए थे। शिव कुमार अग्रवाल (अ.सा. 11) ने अपनी गवाही के पैरा–7 में कहा है कि उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और कांस्टेबल गया प्रसाद सिंह की सामने की जेब में डाल दिए और कहा कि अब उसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इस पर कांस्टेबल गया प्रसाद ने कहा "यह क्या है", "यह क्या है" और यह भी कहा कि वह पैसे स्वीकार नहीं करेगा। जब कांस्टेबल गया प्रसाद सिंह बार–बार कह रहा था कि वह पैसे स्वीकार नहीं करता है, तो वह बाहर आया और अपना सिर खुजलाया, जिस पर ट्रैप पार्टी पहुंची और उस समय उसने पाया कि कांस्टेबल गया प्रसाद सिंह की सामने की जेब में उसके द्वारा डाले गए पैसे जमीन पर पड़े थे। इससे यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है कि शिव कुमार अग्रवाल (अ.सा. 11) द्वारा उसकी जेब में पैसे डाले जाने पर, अपीलार्थी ने स्वाभाविक आचरण के रूप में पैसे निकाले और उन्हें जमीन पर फेंक दिया।

9. निरीक्षक राजेश्वर सिंह (अ.सा. 12) के पास बताने के लिए एक अलग कहानी है। वह यह नहीं कहता कि शिव कुमार अग्रवाल (अ.सा. 11) से संकेत मिलने पर वह मौके पर गया। उसके अनुसार, वह साइकिल पर गया प्रसाद (अ.सा. 12) के घर गया और उसे पकड़ लिया, जिसके बाद हाथापाई हुई और दोनों जमीन पर गिर गए, जिसके दौरान शिव कुमार अग्रवाल (अ.सा. 11) के साथ भेजे गए करेंसी नोट जमीन पर गिर गए। यह ध्यान देने योग्य है कि कांस्टेबल रामजी भोई (अ.सा. 9) भी राजेश्वर सिंह (अ.सा. 12) और अपीलार्थी के बीच किसी भी हाथापाई के बारे में कुछ नहीं कहता है। अपनी गवाही के पैरा–10 में उसने यह भी कहा है कि जब वह अपीलार्थी के घर में घुसा तो उसने पाया कि नोट जमीन पर पड़े थे। एक अन्य गवाह कांस्टेबल पोथी राम (अ.सा. 4) ने भी निरीक्षक राजेश्वर सिंह और अपीलार्थी के बीच किसी भी हाथापाई के बारे में कुछ नहीं कहा। उसने केवल यह गवाही दी कि जब राजेश्वर सिंह ने अपीलार्थी को उसके घर के सामने पकड़ा, तो नोट जमीन पर पड़े थे। बी.सी. शर्मा (अ.सा. 3) ने भी घटना के संबंध में बिल्कुल अलग संस्करण दिया है। उसके अनुसार, पूरी घटना पुलिस स्टेशन के अंदर हुई जहाँ शिकायतकर्ता शिव कुमार अग्रवाल (अ.सा. 11), अपीलार्थी कांस्टेबल गया प्रसाद सिंह और सतर्कता प्रकोष्ठ के लोगों के बीच हाथापाई हो रही थी, जिन्होंने जमीन से करेंसी नोट उठाए थे और जब्ती ज्ञापन तैयार किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. शिव कुमार अग्रवाल (अ.सा. 11) की गवाही से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की कोई मांग नहीं की गई थी। इससे यह भी पता चलता है कि वह केवल यह चाहता था कि अपीलार्थी उसे परेशान न करे। हो सकता है कि कांस्टेबल गया प्रसाद को फंसाने की उसकी कोई बुरी मंशा हो। शिव कुमार अग्रवाल (अ.सा. 11) की गवाही से यह नहीं पता चलता कि वह पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल गया प्रसाद सिंह के साथ उसके आवास तक गया था। इससे पता चलता है कि जब उसने अपीलार्थी की जेब में 1,620/– रुपये की राशि डाली, तो अपीलार्थी ने यह कहकर विरोध किया कि "यह क्या है", "यह क्या है", "मैं पैसे स्वीकार नहीं करता" और जब अपीलार्थी बार–बार यह कह रहा था, तो वह बाहर गया और ट्रैप पार्टी को संकेत दिया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 1,620/– रुपये के करेंसी नोट जमीन पर पड़े थे।

11. अब केवल यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या यह संभाव्य है कि जब अपीलार्थी ने करेंसी नोटों को जमीन पर फेंका तो उसकी उंगलियां उन पर लगे फिनॉफ्थलीन पाउडर के संपर्क में आ गईं। शिव कुमार अग्रवाल (अ.सा. 11) के पूर्ववृत्त और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभिलेख पर इस बात का लेशमात्र भी साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी ने कभी शिव कुमार (अ.सा. 11) से कोई रिश्वत मांगी थी, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, रिश्वत मांगने वाले और शिव कुमार (अ.सा. 11) को इस उद्देश्य के लिए अपने घर ले जाने वाले व्यक्ति के स्वाभाविक आचरण को ध्यान में रखते हुए, यह अत्यंत असंभाव्य होगा कि पैसे उसकी जेब में डालने की आवश्यकता होगी। यदि मांग होती, तो पैसे सीधे हाथ से स्वीकार कर लिए जाते।

12. उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित बिंदु उभरते हैं:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(क) इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी ने शिव कुमार अग्रवाल (अ.सा. 11) से रेल्वे कबाड़ की बिक्री की उसकी अवैध गतिविधियों से बचाने के लिए 3,000/– रुपये प्रति माह की राशि की मांग की थी।

(ख) इस बात का लेशमात्र भी साक्ष्य नहीं है कि शिकायतकर्ता शिव कुमार अग्रवाल (अ.सा. 11) ने जाल बिछाए जाने से पहले अपीलार्थी कांस्टेबल गया प्रसाद सिंह को 1,380/– रुपये का भुगतान किया था।

(ग) शिकायतकर्ता शिव कुमार अग्रवाल (अ.सा. 11) लोहे के कबाड़ की चोरी के कई मामलों में शामिल था।

(घ) बी.सी. शर्मा (अ.सा. 3) की गवाही से पता चला कि घटना पुलिस स्टेशन के अंदर हुई थी और यह निरीक्षक राजेश्वर सिंह (अ.सा. 12) और सी.के. तिवारी (अ.सा. 13) की गवाही का पूरी तरह से खंडन करती थी।

(ङ) यह बचाव कि शिव कुमार (अ.सा. 11) द्वारा उसकी जेब में करेंसी नोट डाले जाने पर अपीलार्थी ने विरोध किया और पैसे जमीन पर फेंक दिए, संभाव्य है।

13. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, मेरा सुविचारित मत है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य संदेह से परे यह स्थापित नहीं करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। यह भी साबित नहीं हुआ है कि शिव कुमार (अ.सा. 11) ने जाल बिछाए जाने से पहले अपीलार्थी को 1,380/– रुपये का भुगतान किया था। यह भी संदेह से परे स्थापित नहीं हुआ है कि अपीलार्थी ने 28–01–1989 को शिव कुमार अग्रवाल (अ.सा. 11) से रिश्वत के रूप में 1,620/– रुपये की राशि स्वीकार की थी। शिव कुमार अग्रवाल (अ.सा. 11) के उसकी गवाही के पैरा–20 में पूर्ववृत्त और पैरा 7 में उसकी गवाही से यह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है कि अपीलार्थी ने शिव कुमार अग्रवाल (अ.सा. 11) से 1,620/– रुपये की रिश्वत स्वीकार नहीं की थी और विरोध के बावजूद उसकी जेब में पैसे डाले जाने पर, उसने उन्हें जमीन पर फेंक दिया था, जिसके कारण फिनॉफ्थलीन परीक्षण सकारात्मक आया। इसलिए, अधिनियम 1988 की धारा 7 और धारा–13 (1) (डी) सहपठित धारा 13 (2) के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।

14. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और धारा 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13 (2) के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी कांस्टेबल गया प्रसाद सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा–7 और धारा 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13 (2) के आरोप से दोष–मुक्त किया जाता है। यदि जुर्माना अदा किया गया हो, तो वह अपीलार्थी को वापस कर दिया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर

दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By– Ashish **Kumar Himdhar**